राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 132वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 132वीं बैठक दिनांक 11/11/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 131वीं बैठक दिनांक 19/10/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 131वीं बैठक दिनांक 19/10/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेशज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 424वीं एवं 425वीं बैठक क्रमशः दिनांक 20/09/2022 एवं 21/09/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेग स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री रामानुज चंद्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2035)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69805/ 2021, दिनांक 20/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 212, कुल क्षेत्रफल–0.75 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,378.75 टन (1,751.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वेदप्रकाश चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 212, कुल क्षेत्रफल – 0.75 हेक्टेयर, क्षमता – 1,751.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	30
2018	456
2019	330
2020	302

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव का दिनांक 02/08/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1272/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 14/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.85 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1310/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री रामानुज चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/09/2011 से 28/09/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/09/2021 से 28/09/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्रीमती अर्चना चन्द्राकर, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/1131 महासमुंद, दिनांक 16/03/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 20 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 540 मीटर, स्कूल ग्राम–बरबसपुर 960 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 9.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.3 कि.मी. दूर है। नाला 210 मीटर, महानदी 350 मीटर एवं तालाब 560 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,32,480 टन, माईनेबल रिजर्व 58,080 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 43,560 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,31,362 टन एवं माईनेबल रिजर्व 56,962 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,028 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,328 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	योजना अवधि के 4 वर्ष छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में शामिल होने से पूर्व ही उत्खनन पूर्ण किया जा चुका है।	षष्टम	3,858.75
द्वितीय		सप्तम	3,990
तृतीय		अष्ठम	4,007.5
चतुर्थ		नवम	4,378.75
पंचम	3,787.5	दशम	4,483.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.99 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 606 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 456 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.85 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.75 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेगी) क्वारी (प्रो.– श्री दुष्यंत कुमार साहू), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2036)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77149/ 2022, दिनांक 21/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1338, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,700 टन (1,080 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दुष्यंत कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1338, कुल क्षेत्रफल – 2.1 एकड़ (0.85 हेक्टेयर), क्षमता – 2,700 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क. /ख.लि./तीन–6/2022/323 रायपुर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	43
2018	949
2019	1,055
2020	595
2021	696

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 09/10/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 13/10/2016 का घास मद से खनिज मद में परिवर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन पृ. क्रमांक 502–2/ख.लि./तीन–6/उ.प. रायपुर, दिनांक 10/07/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1923/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.48 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1923/ख.लि. /तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दुष्यंत साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/12/2004 से 02/12/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/12/2014 से 02/12/2034 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है। नहर 135 मीटर, एनीकट 490 मीटर एवं महानदी 480 मीटर की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,00,455 टन, माईनेबल रिजर्व 44,452 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 33,339 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,074 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,606.25	षष्टम	2,925.00
द्वितीय	2,643.75	सप्तम	2,943.75
तृतीय	2,662.50	अष्टम	2,962.50
चतुर्थ	2,812.50	नवम	2,981.25
पंचम	2,850.00	दशम	3,000.00

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 750 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,074 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,360 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1923/ख. लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.48 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) का रकबा 0.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

viii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स ओम स्पंज, ग्राम–मुनरेठी, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2044)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 274770/ 2022, दिनांक 25/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मुनरेठी, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 140/1(पार्ट), 115/1, 115/2, 136/6 एवं 139/12 कुल क्षेत्रफल – 5.09 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् रि–रोल्ड प्रोडक्टस थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,600 टन प्रतिवर्ष, डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता –30,000 टन प्रतिवर्ष से परिवर्तन कर (1 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता –30,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 4 मेगावॉट तथा बायोमास आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट क्षमता–45,000 नग प्रतिदिन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 64.62 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयानंद गोयल, सी.ई.ओ. एवं श्री बापिन मोहन्टी, जरनल मेनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – इस उद्योग को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 29/07/2005 को डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु संचालन सम्मति जारी की गई।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 28/02/2022 को रि–रोल्ड प्रोडक्टस (थ्रू–इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट– 4 मेगावॉट, बॉयोमास आधारित पॉवर प्लांट– 8 मेगावॉट एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट – 30,000 नग प्रतिदिन हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से परिवर्तन कर डीआरआई

प्लांट (स्पंज आयरन) (1 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सरक्यूलर दिनांक 21/11/2006 का लेख करते हुये पूर्व से संचालित होने के कारण पर्यावरण से मुक्त होना बताया गया है।

उक्त के संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सरक्यूलर दिनांक 21/11/2006 के अनुसार " Such projects for which NOCs issued before 14th September, 2006 will not required to take Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006." का उल्लेख है। इसका तात्पर्य यह है कि 14th September, 2006 के पूर्व स्थापित इकाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उस परियोजना ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस परियोजना में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से परिवर्तन कर डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (1 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष किया जाना है, जो कि कंफिग्रेशन में परिवर्तन (Change in configuration) के श्रेणी का है (यह स्पष्ट है कि पूर्व में जारी स्थापित इकाई में परिवर्तन किया जा रहा है)। अतः वर्तमान में स्थापित इकाई में स्पंज आयरन किल्न में परिवर्तन किये जाने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् स्पंज आयरन (प्राथमिक धातुकर्म उद्योग) क्षमता 200 टन पी डी से कम होने के कारण बी–'1' श्रेणी के अंतर्गत आता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकर करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेग स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री झालाराम चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2041)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69793/ 2021, दिनांक 23/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–746.25 टन (298.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री झालाराम चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल – 0.4 हेक्टेयर, क्षमता 298.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–
   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."
   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1150/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 19/09/2022 द्वारा

जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	20
2018	592
2019	79
2020	80
दिनांक 01/01/2021 से 30/09/2021 तक	640
दिनांक 01/10/2021 से 31/03/2022 तक	700

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1786/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 03/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1253/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री झालाराम चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/1998 से 04/10/2008 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/2008 से 04/10/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्री राजेन्द्र चन्द्राकर, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/6183 महासमुंद, दिनांक 31/12/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.95 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.15 कि.मी. दूर है। महानदी 560 मीटर, नाला 170 मीटर, तालाब 830 मीटर एवं नहर 490 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 57,490 टन, माईनेबल रिजर्व 19,425 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 14,568 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 55,379 टन एवं माईनेबल रिजर्व 17,314 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,132 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	562.5	षष्टम	783.75
द्वितीय	618.75	सप्तम	825
तृतीय	656.25	अष्टम	862.5
चर्तुथ	693.75	नवम	907.5
पंचम	746.25	दशम	962.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.55 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 426 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 326 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,132 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 840 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर, 643 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर एवं 649 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लघंन है। अतः

परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   v. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

   vi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

vii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit layout map with KML file and remedial measure plan earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details (DPR) of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के

लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स सिरिमकेला ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री कपिल देव साय), ग्राम–सिरिमकेला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2039)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 273845/2022, दिनांक 23/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सिरिमकेला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 422/1, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कपिल देव साय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिरिमकेला का दिनांक 04/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र), जिला–रायगढ़ के पृ. क्रमांक 27ए/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 04/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/538/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 23/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/538/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री कपिल देव साय के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 316/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.धि./2021/1248 जशपुर, दिनांक 22/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरिमकेला 830 मीटर, स्कूल ग्राम–सिरिमकेला 1 कि.मी. एवं अस्पताल दुलदुला 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21 कि.मी. दूर है। सिरी नदी 200 मीटर एवं मौसमी नाला 52 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 22,399 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 20,159 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 587 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की

ऊंचाई 30 मीटर से अधिक होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 22.4 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 19 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	षष्टम	1,000
द्वितीय	1,000	सप्तम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,96,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,84,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,91,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,56,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र एवं श्रमिकों के विश्राम के लिए कमरा आदि हेतु 500 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at Nearby Goverment Middle School, **Village- Sirimkela**	
			Potable Drinking Water Facility	0.159
			Plantation	0.156
			Total	**0.315**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. एक लाख ईट निर्माण हेतु 19 टन कोयला की आवश्यकता होने एवं उससे जनित ऐश का उपयोग ईट निर्माण तथा रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव एवं रैम्प निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर संरक्षित रखने हेतु, अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. लीज क्षेत्र से निकटतम अन्य स्थापित चिमनी (ईट भट्ठा) 1.3 कि.मी. दूर होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र 2.2 कि.मी. दूर होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में) वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/538/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 23/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सिरिमकेला) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सिरिमकेला ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री कपिल देव साय) को ग्राम–सिरिमकेला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 422/1 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सिरिमकेला ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री कपिल देव साय) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् तथा सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1925)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 71891/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/07/2022 के माध्यम से जारी टी. ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ट्रिपल

सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 17.5 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/07/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

S.N.	Conditions	Clarification
1.	It has been asked by SEAC Chhattisgarh to conduct Hearing for the project.	The project is in a notified industrial area. The notified area has been established before 2006. Public Therefore, the project being located in a notified industrial area, the project is exempted from Public Hearing as per clause 7 (i) (II) of EIA notification 2006 & OM J-11011/321/2016-IA. II(1) dated 27.04.2018.
2.	Condition No. (i): Project Proponent shall inform Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.	According to the Office Memorandum, dated 29th August 2017 issued by MOEF&CC is enclosed, it is stated that the baseline data used for the preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, the baseline data should not be older than 3 years. So, in line with this OM, M/s Tulsi Phosphate has already conducted the monitoring for the period (1st Dec 2021 to 28th Feb, 2022). The monitoring test reports will be submitted along with the submission of EIA report.

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई उपरोक्त स्पष्टीकरण के बिन्दु क्रमांक 1 के परिपेक्ष्य में समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/321/2016-IA.II(I), दिनांक 27/04/2018 के अनुसार "the exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III State (3)(i)(b) of the EIA Notification, 2006, shall not be applicable to the following projects or activities (located within the industrial estates / parks) listed as under:" में 5 (a) का उल्लेख नहीं है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Government of India Ministry of MSME, State Industrial Profile of Chhattisgarh 2015-16 के **सारणी क्रमांक–8 के बिंदु क्रमांक–37** में Industrial Area, Birkoni, Mahasamund का उल्लेख है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लीज मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर है। लीज डीड 99 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/10/2010 से 24/10/2109 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई उपरोक्त स्पष्टीकरण के बिन्दु क्रमांक 2 के परिपेक्ष्य में समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11013/41/2006-IA-II(I)(Part), दिनांक 29/08/2017 के अनुसार "(vii) The baseline data used for preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, such a baseline data and the public consultation should not be older than 3 years, at the time of submission of the proposal, for grant of Environmental Clearance, as per ToRs prescribed." का उल्लेख है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ही बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त बेसलाईन डाटा की अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु उक्त बेसलाईन डाटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किये जाने एवं तदानुसार नवीन टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में निम्न संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:–

"प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई"

के स्थान पर

"प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/321/2016-IA.II(I), दिनांक 27/04/2018 द्वारा

Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks हेतु स्टैण्डर्ड **टीओआर (बिना लोक सुनवाई)** निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई"

पढ़ा जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. ग्राम– बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद में बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र को कब अधिसूचित किया गया है, इस संबंध में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उद्योग विभाग से प्राप्त किया जाना है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में बेसलाईन डाटा कलेक्शन 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किये जाने की सूचना दी गई है अथवा नही के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद में बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र कब अधिसूचित किया गया है? के संबंध में उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन से जानकारी मंगाया जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में बेसलाईन डाटा कलेक्शन 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किये जाने की सूचना दी गई है अथवा नही के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पत्र लेख किया जाए।

उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1888)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 243410/2021, दिनांक 25/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल – 2.255 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल–2.255 हेक्टेयर, क्षमता–1,400 घनमीटर (ईंट उत्पादन 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अपूर्ण प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो को पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2011	200	2017	1,910
2012	निरंक	2018	1,280
2013	निरंक	2019	520
2014	200	2020	100
2015	1,000	03/2021	540
2016	820		

   v. वर्ष, 2017 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन करने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलदुला का दिनांक 23/08/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1852/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो./2020 दिनांक 04/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन,

भवन, धार्मिक स्थल, मरघट, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 28/08/2017 को श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर किया गया है। लीज डीड में 30 वर्षो की, दिनांक 10/12/2010 से 10/12/2040 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2010/10253 जशपुर, दिनांक 27/11/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुलदुला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–दुलदुला 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–दुलदुला 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 4.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी. दूर है। पक्की सड़क 30 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 45,100 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,581 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,021 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.212 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,400
द्वितीय	1,400
तृतीय	1,400
चतुर्थ	1,400
पंचम	1,400

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 914 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29	2%	0.58	Following activities at **Village- Duladula**	
			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	**2.24**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, जल बोरिंग/तालाब से टैंकर के माध्यम से एवं रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,24,100 रूपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दुलदुला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 569/1, क्षेत्रफल 0.4) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III [ई138949], दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया गया। साथ ही उक्त ओ.एम. के पूर्व उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन करने पर निम्न तथ्य पाये गये:–

" B. If permissible:

i. As per extant regulation at the time of scoping, if it is viewed that the project activity is otherwise permissible, Terms of Reference (TOR) shall be issued with direction to complete the impact assessment studies & submit Environment Impact Assessment (EIA) report & Environment Management Plan (EMP) in a time bound manner.

ii. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   (a) Damage Assessment
   (b) Remedial Plan and
   (c) Community Augmentation Plan by the central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory Level Expert Appraisal Committees, as the case may be."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

   "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the new NOC of gram panchayat for mining.

   iv. Project proponent shall submit the details of land documents (B-1 and P-2) with agreement copy.

   v. Project proponent shall submit the detail compliance report of previous Environmental Clearance.

   vi. Project proponent shall submit the detail proposal of uses of broken bricks & the quantity of coal.

   vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and

2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

x. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xiii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiv. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/06/2022 को संपन्न 123वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि संबंधी (बी–1, पी–2) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 26/08/2022 के माध्यम से प्रेषित जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त नहीं होना बताया गया है तथा केवल नाम परिवर्तन हेतु आवेदन करना होगा। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को **निरस्त किये जाने हेतु** अनुरोध पत्र दिनांक 26/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/09/2022 को भूमि संबंधी (बी–1, पी–2) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन करने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र को अमान्य किया गया।
2. भूमि श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर है, उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों की जानकारी में वर्ष 2017 में उत्खनन 1910 घनमीटर उल्लेखित है, जबकि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 1400 घनमीटर उल्लेखित है। उक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 510 घनमीटर अधिक उत्खनन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

"The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the new NOC of gram panchayat for mining.

iv. Project proponent shall submit the consent letter from the land owner.

v. Project proponent shall submit the detail compliance report of previous Environmental Clearance.

vi. Project proponent shall submit the detail proposal of uses of broken bricks & the quantity of coal.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

x. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xiii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiv. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित प्रकरण में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,910 घनमीटर उत्खनन किया जाना बताया गया है।

2. उक्त आवेदित प्रकरण के अतिरिक्त इसी खसरे एवं क्षेत्रफल (खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल – 2.255 हेक्टेयर) हेतु एक अन्य ऑनलाईन आवेदन (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 290458/2022, दिनांक 26/08/2022) पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 18/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,190 घनमीटर उत्खनन किया जाना बताया गया है।

3. उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों में उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपयुक्त प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों में उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपयुक्त प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा

खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को भी उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये पत्र लेख किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स हनुमंत एलॉयस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 881)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36857/ 2019, दिनांक 27/05/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36857/ 2019, दिनांक 25/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित प्लाट नम्बर 16 (खसरा क्रमांक 657/2), कुल क्षेत्रफल – 3.95 हेक्टेयर (9.76 एकड़) में स्थापित डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) से 16,500 टन प्रतिवर्ष (Increase in the no. of days from 300 to 330 days), न्यू डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 125 टन प्रतिदिन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 11 करोड़ है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1072, दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 416वीं बैठक दिनांक 15/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सोमित अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन)

हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 25/11/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 31/11/2022 तक वैध है।

- पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 983, दिनांक 07/06/2022 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–कोरमी 800 मीटर एवं शहर बिलासपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम स्कूल एवं अस्पताल सिल्पाहारी 1.4 कि.मी. तथा निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 4.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. दूर है। अरपा नदी 4.8 कि.मी. एवं गोकेनाह नाला 0.4 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Existing & Proposed Area (Acre)
	Plant Area	2.10
	Raw material Yard	1.70
	Product Storage Area	1.10
	Solid Waste Storage Yard	0.60
	Internal Roads	0.50
	Green Belt Area	3.25
	Parking Area	0.51
	Total	**9.76**

6. **रॉ–मटेरियल** –

S.No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For New DRI Klin (Sponge iron) - 41,250 TPA				
1.	Iron Ore	66,000	NMDC, Bailladila/ Bachheli	By rail and road (through covered trucks)
2.	Indian Coal	53,625	SECL, Chhattisgarh/ MCL, Odisha	By rail and road (through covered trucks)
3.	Imported Coal	37,125	Indonesia/ South Africa/ Australia	through Sea route, rail route& by road
4.	Dolomite	2,000	Local Area	By road (through covered trucks)
For DRI Klin (Sponge iron) - 16,500 TPA				

1.	Iron Ore	26,400	NMDC, Bailladila/ Bachheli	By rail and road (through covered trucks)
2.	Indian Coal	21,450	SECL, Chhattisgarh/ MCL, Odisha	By rail and road (through covered trucks)
3.	Imported Coal	14,850	Indonesia/ South Africa/ Australia	through Sea route, rail route& by road
4.	Dolomite	825	Local Area	By road (through covered trucks)

प्रस्तावित स्थापित डी.आर.आई. किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु कौन–कौन से रॉ–मटेरियल कितनी–कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing Plant	Proposed Expansion
DRI Kiln (Sponge Iron)	1 X 50 TPD (15,000 TPA)	1 X 50 TPD (15,000 TPA To 16,500 TPA by increase in the no. of operating days from 300 to 330 days)
		1 X 125 TPD (41,250 TPA)
Total production		**57,750 TPA**

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्पंज आयरन इकाई (1 X 50 TPD) से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वॉटर स्क्रबर स्थापित है। पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से स्पंज आयरन इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 50 मीटर की चिमनी स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु स्पंज आयरन इकाई (1 X 125 TPD) से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखने हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 70 मीटर की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। रॉ–मटेरियल के हेण्डलिंग हेतु वर्तमान में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वाईब्रेटिंग स्क्रीन को ढ़का जाएगा एवं सभी कन्वेयर बेल्ट्स को जी.आई. सिट्स से ढ़का जाकर परिवहन किया जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वाईब्रेटिंग स्क्रीन, कन्वेयर बेल्ट्स, फिडिंग पाईंट्स आदि से धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Quantity		Method of Disposal
	Existing	Proposed	
Ash from DRI	9	23	Is being given to brick manufacturers (i.e. M/s Chhabra Marble and Tiles Industries) and same practice will be continued after expansion also.

Dolochar	15	38	Is being given to M/s Nutan Ispat & Power Pvt. Ltd. for Power generation and after expansion same practice will be continued.
Kiln Accretion Slag	0.45	1.1	Is being used in road/civil construction & being given to road contractor (i.e. M/s khetan Buidcon Pvt. Ltd.) and same practice will be continued after the proposed expansion also.
Wet Scrapper sludge	2.3	6	Is being used in road/civil construction & being given to road contractor (i.e. M/s khetan Buidcon Pvt. Ltd.) and same practice will be continued after the proposed expansion also.

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 60 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 60 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 27/01/2021 से 26/01/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। साथ ही आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से अनुमति प्राप्त किये जाने बाबत् आवेदन किया गया है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्पंज ऑयरन प्लांट से दूषित जल उत्पन्न होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical

assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू–जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरुप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू–जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 2 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 1 मीटर एवं गहराई 2 मीटर) निर्मित किया गया है। उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,019 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल 5 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 2 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.25 एकड़ (34.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 600 नग प्रति एकड़ पौधे 15 मीटर से 42 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	22.1	38.9	60
PM_{10}	36.5	64.8	100
SO_2	10.1	16.2	80
NO_2	12.6	21.2	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47	70	75
Night L_{eq}	37	54	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 15,002 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 220.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 15,222.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता 20,000 पी.सी.यू. प्रतिदिन (IRC:73-1980) के भीतर है।

14. लोक सुनवाई दिनांक 08/10/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् शासकीय नवीन प्राथमिक शाला ग्राम–कोरमी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–हरदीकला, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–हरदीकला, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–हरदीकला, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–घुमा, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–रावतपारा, आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–कोरमी एवं शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–शिलपहरी में आवश्यकतानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ड्रिकिंग वॉटर व्यवस्था, रनिंग वॉटर फेसिलिटी, वृक्षारोपण कार्य एवं बोरवेल के कार्य किये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् राशि का उपयोग परियोजना के आस–पास के ग्राम में ईको पार्क निर्माण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. प्रस्तावित स्थापित डी.आर.आई. किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु रॉ–मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव

भी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान (KML फाईल सहित) प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इकाई से प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु विस्तृत गणना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाए।

8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

9. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized Affidavit) जमा किया जाए।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् राशि का उपयोग परियोजना के आस–पास के ग्राम में पर्यावरण सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तावित स्थापित डी.आर.आई. किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु रॉ–मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

Input	
Item	**Quantity (Tonnes/Year)**
Iron Ore	26,400
Coal (Indian)	21,450
Dolomite	825
Total	**48,675**
Output	
Item	**Quantity (Tonnes/Year)**
Sponge Iron	16,500
Dolochar	4,950
Ash/Dust from Bag filters	2,970
Wet Scrapper Sludge	759
Accretion slag	148
Flue Gases	23,348
Total	**48,675**

2. प्रेषित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेख किया गया कि आवेदित उद्योग सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक/सीएसआईडीसी/भू.आ./2022/5198 रायपुर, दिनांक 05/09/2022 को इकाई मेसर्स हनुमंत एलॉयस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के प्रमाणीकरण के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है।

3. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लाट नम्बर 16 (खसरा क्रमांक 657/2), कुल क्षेत्रफल – 3.95 हेक्टेयर (9.76 एकड़) हेतु जारी लीज डीड की प्रति प्रेषित की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 15/01/2103 तक है।

4. वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान (KML फाईल सहित) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
उद्योग परिसर के भीतर कुल क्षेत्रफल के 3.25 एकड़ क्षेत्र में (1,626 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,53,750	1,18,300	22,600	24,860	–
	रख–रखाव हेतु राशि	1,83,500	1,96,350	1,83,553	2,01,897	2,13,758
कुल राशि = 12,98,568		**3,37,250**	**3,14,650**	**2,06,153**	**2,26,757**	**2,13,758**
उद्योग परिसर के बाहर ग्राम पंचायत सिलपहरी द्वारा सहमति प्राप्त स्कूल ग्राम–सिलपहरी में कुल क्षेत्रफल के 1 एकड़ क्षेत्र में (750 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,02,500	18,200	15,000	16,500	–
	रख–रखाव हेतु राशि	1,71,000	1,66,100	1,81,235	1,99,351	2,13,758
कुल राशि = 10,83,644		**2,73,500**	**1,84,300**	**1,96,235**	**2,15,851**	**2,13,758**

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इकाई से प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

Annual Emission Loads (Tons/year)			
Parameter	**Existing**	**Expansion**	**After Expansion**
PM	5.59	15.51	21.10
SO_2	256.61	858.21	1,114.82

	(9.0 gm/sec)	(30.1 gm/sec)	
NO_x	39.92 (1.4 gm/sec)	111.20 (3.9 gm/sec)	151.12

7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु विस्तृत गणना प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 12,760 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर, गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। साथ ही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

8. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. उद्योग की स्थापना से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सड़कों में चलना मुश्किल हो गया है, किसानों के फसल बहुत बरबाद हो रहें है।

   ii. उद्योग से प्रभावित क्षेत्र सिलपहरी एवं हरदी में सी.एस.आर. का अधिक से अधिक उचित उपयोग किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रदूषण के रोकथाम हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सुझाये गये मानदण्डों के पालन हेतु उपाय किया जाना प्रस्तावित है। दोनों किल्नों में ई.एस.पी. की स्थापना की जाएगी। सभी कन्वेयर बेल्ट जी.आई. शीट्स द्वारा पूर्णतः ढ़के होंगे। ई.एस.पी. में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। परिसर में लगभग 3.4 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा भविष्य में इसमें वृद्धि कर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। मानकों के पालन हेतु सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना तथा सतत संचालन किया जाएगा।

   ii. ग्राम सिलपहरी एवं हरदी में सामाजिक तथा अधोसंरचना के विकास कार्य किये जाऐंगे।

   iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05/09/2022 के बिन्दु क्रमांक 5 में "That the company will give priority in employment of local

peoples as per their qualification as per commitment given in Public Hearing and Chhattisgarh Government Policy." का उल्लेख है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05/09/2022 के बिन्दु क्रमांक 5 में "That we will strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public Hearing." का उल्लेख है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् राशि का उपयोग परियोजना के आस–पास के ग्राम में पर्यावरण सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1100	1%	11	Following activities at, **Village-Hardikala**	
			Pavitra Van Nirman	12.95

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार

(1) प्रथम वर्ष में 1,050 नग पौधों के लिए राशि 2,15,250 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,98,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,13,750 रूपये,

(2) द्वितीय वर्ष में लगभग 210 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) राशि 38,220 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,72,150 रूपये, इस प्रकार द्वितीय वर्ष में कुल राशि 2,10,370 रूपये,

(3) तृतीय वर्ष में लगभग 158 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) राशि 31,600 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,86,298 रूपये, इस प्रकार तृतीय वर्ष में कुल राशि 2,17,898 रूपये,

(4) चतुर्थ वर्ष में लगभग 158 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) राशि 34,760 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 2,04,912 रूपये, इस प्रकार चतुर्थ वर्ष में कुल राशि 2,39,672 रूपये,

(5) पंचम वर्ष में रख–रखाव के लिए राशि 2,13,758 रूपये,

इस प्रकार 5 वर्ष में कुल राशि 12,95,448 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत हरदी कला (टोना) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 21/5(ए), क्षेत्रफल 5 एकड़ में से 2.5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स हनुमंत एलॉयस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड को सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित प्लाट नम्बर 16 (खसरा क्रमांक 657/2), कुल क्षेत्रफल – 3.95 हेक्टेयर (9.76 एकड़) में स्थापित डीआरआई

किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) से 16,500 टन प्रतिवर्ष (Increase in the no. of days from 300 to 330 days), न्यू डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 125 टन प्रतिदिन) (कुल क्षमता–57,750 टन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की सभी अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स हनुमंत एलॉयस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड को सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त विषयों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना (Action Plan) तैयार करने एवं इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था के संबंध में विवरण को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

   ii. परियोजना परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना के भीतर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री परेश कुमार), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 930)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40346/ 2019, दिनांक 31/07/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।

वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40346/ 2019, दिनांक 02/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–254, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोगेवार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1638/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)
जनवरी 2006 से दिसंबर 2006 तक	निरंक
जनवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक	250
जनवरी 2008 से दिसंबर 2008 तक	2,000

जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक	1,250
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक	निरंक
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 तक	4,000
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012 तक	500
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक	निरंक
जनवरी 2014 से दिसंबर 2014 तक	2,000
जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक	1,000

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 31/08/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्वायरोन्मेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर ज्ञापन क्रमांक 3970/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क.05/2019 नवा रायपुर, दिनांक 16/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4266/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.341 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1712/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 10/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री परेश कुमार के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/11/2005 से 02/11/2015 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1013/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 11/06/2020 द्वारा "छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय का आदेश दिनांक 12/05/2020 अनुसार गौण खनिज चूना पत्थर के उत्खनिपट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/12/2014 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 यथा संशोधित के नियम 38 क के अनुसार गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाना है। संचालनालय द्वारा पट्टा अवधि विस्तार हेतु जारी निर्देश दिनांक 06.06.2016, के अनुसार नियम 38 (क) के तहत् नौकरण आवेदन एवं पर्यावरण सम्मति के अभाव में अवधि विस्तार पूरक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जा सकता। अतएव पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।" का उल्लेख है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क.

25/2355 खैरागढ़, दिनांक 07/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,28,400 टन, माईनेबल रिजर्व 2,82,156 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,58,928 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई .1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,720 घनमीटर है, जिसमें से 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 3,620 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 525/5) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 775 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 15,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,26,400 रूपये, खाद के लिए राशि 5,820 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,400 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,28,120 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 4,85,632 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर क्षेत्र है,

जिसमें से 3,200 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौडे सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

iii. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

iv. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	7.24	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

v. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

vi. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

vii. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार काटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ें के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुचना नही दी जाती हैं, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगो को सुचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	फेंसिंग हेतु राशि	34,78,700	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		**41,20,112**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (200 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	फेंसिंग हेतु राशि	2,90,000	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		**4,96,700**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.45	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van Nirman	10.14
			Total	10.14

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 16,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,66,100 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,72,800 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,900 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.46 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र

प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

5. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट-चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत/जल संसाधन विभाग से जांच उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायें।

6. उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर बताई गई है। अतः जल स्त्रोत की गहराई के संबंध में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. लीज क्षेत्र में 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 3,620 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक

525/5, रकबा 1.1315 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत की गई है।

3. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहर नाली का संधारण बरसात के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत दुर्भावनावश की गई है, का लेख किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण कराने हेतु लेख किया जाए।

4. ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार भू–जल स्तर की गहराई 150 से 200 फीट के उपरांत है।

5. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4266/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित

खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.341 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) का क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) को मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.555 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री परेश कुमार) की ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–254 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर, क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की सभी अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री परेश कुमार) की ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़,

जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–254 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर, क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त विषयों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना (Action Plan) तैयार करने एवं इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था के संबंध में विवरण को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

ii. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी ग्राम–फिंगेश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 281561/2022, दिनांक 04/07/2022। मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री

प्रमोद सिंह चंदेल), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी ग्राम–फिंगेश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1326/2, कुल लीज क्षेत्र 0.4 हेक्टेयर, फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–3,032 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 718, दिनांक 28/06/2021 द्वारा उक्त क्षमता हेतु मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के संशोधित आदेश क्रमांक 921/ख.लि./न.क्र./2021–22 गरियाबंद, दिनांक 21/02/2022 द्वारा "श्री अशोक सिंह राजपूत" के नाम पर एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
4. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल) द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अशोक सिंह राजपूत के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
3. माईनिंग प्लान का हस्तांतरण श्री अशोक सिंह राजपूत के नाम पर किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/10/2022 द्वारा प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

- पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात् लीज अनुबंध एवं भू प्रवेश आदेश प्राप्त नहीं हुआ और अशोक सिंह राजपुत के नाम से संशोधित आदेश (आशय पत्र) कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा गरियाबंद छ.ग. द्वारा पत्र क्रमांक 921/ख. लि./न.क्र./2021–22 गरियाबंद, दिनांक 21/02/2022 को जारी किया गया है जिस कारण से खदान में कोई कार्य नहीं किया गया। पर्यावरण स्वीकृति में नाम ट्रांसफर एवं लीज अनुबंध के पश्चात् पर्यावरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के परिपालन में अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट आपके कार्यालय में प्रेषित की जाएगी। उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात् लीज अनुबंध एवं भू–प्रवेश आदेश प्राप्त नहीं हुआ जिससे लीज क्षेत्र में कोई कार्य या उत्पादन/खनन नहीं किया गया है।

3. अशोक सिंह राजपुत निवासी फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ.ग. के नाम से संशोधित आदेश (आशय पत्र) क्रमांक 921/ख.लि./न.क्र./2021–22 गरियाबंद, दिनांक 21/02/2022 एवं अशोक सिंह राजपूत के नाम पर अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया** कि मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 718, दिनांक 28/06/2021 द्वारा ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1326/2, कुल लीज क्षेत्र 0.4 हेक्टेयर, फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,032 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी ग्राम–फिंगेश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

2. **मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 290458/2022, दिनांक 26/08/2022। श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल लीज क्षेत्र 2.255 हेक्टेयर, मिट्टी (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,400 घनमीटर (ईंट उत्पान इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 108, दिनांक 21/02/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के पृ. आदेश क्रमांक 758/ए/ख.शा./2017 जशपुर, दिनांक 28/08/2017 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर शेष अवधि (मूल स्वीकृत अवधि दिनांक 10/12/2010 से 09/12/2040 तक) हेतु उत्खनिपट्टे का अंतरण किया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1852/खनिज/खलि. 3/उत्खनन यो./2020, दिनांक 04/12/2020 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर रिवाईज्ड क्वारी प्लान जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

3. श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि. शा./2022 जशपुर, दिनांक 18/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	1,190
2018	1,280
2019	520
2020	100
2021	600
2022 (मार्च तक)	440

3. श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदित प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 18/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,190 घनमीटर उत्खनन किया जाना बताया गया है।

2. उक्त आवेदित प्रकरण के अतिरिक्त इसी खसरे एवं क्षेत्रफल (खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल – 2.255 हेक्टेयर) हेतु एक अन्य ऑनलाईन आवेदन (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 243410/2021, दिनांक 25/12/2021) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये

उत्खनन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,910 घनमीटर उत्खनन किया जाना बताया गया है।

3. उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों के उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपयुक्त प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों के उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपयुक्त प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को भी उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये पत्र लेख किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से बॉयो मेडिकल वेस्ट के संबंध में प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।

अपर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 18/10/2022 द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

- जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के वैधानिक विधि से निपटान हेतु जैव–चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में अवगत कराते हुये सतर्कता पूर्वक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।
- जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का अवैधानिक/गैप एनालिसिस स्टडीस एवं स्टेट पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड के मॉनिटरिंग में कमी/ बॉयो मेडिकल वेस्ट की अवैध डम्पिंग करने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है।
- इस विषय पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनिवार्य रूप से गैप एनालिसिस स्टडीस किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संपन्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से विस्तृत प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु लेख किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़